

फद अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादी/वादीगण

प्रतिवादी/प्रतिवादीगण

गफार

बनाम

बरकत

प्रकरण : राजस्व वाद

मुकदमा नं. 160 / 2022

तारिख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज

नम्बर व तारिख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील में  
जारी हुये।

24/6/22

वाद पत्र प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र सिंह के अन्तर्गत धारा 53, 68, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जवाब हेतु जरिये नोटिस तलब किया जावे। मिसल दिनांक 10/01/22 को पेश हो।

*AS*  
सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) जायल

19/7/22

पत्रावली वकील वादी के प्रार्थना-पत्र पेश हुई वकील वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य रात्रीनामा हो गया है वादी वाद को चलाना नहीं चाहता है वादी स्वयं हानिर। वादी को सुना गया। तथा वादी के आदेशिका पर हस्ता-कषाये जये। वादी की ओर से प्रस्तुत विहील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी का खारिज किया जाता है मिसल नम्बर से कर होकर वाद तकमील एवं जफ्त कार्रवाही दारखिल हफ्तर रहे।

गफार

*AS*  
सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) जायल